विस्तृत विज्ञप्ति

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141 2722520

क्रमांक: प.14(99)RSSB/अर्थना/जन.सम्पर्क.अधि./भर्ती/2021/1380 दिनांक : 24.11.2021

विज्ञप्ति सं. 07/2021

—:: सहायक जनसम्पर्क अधिकारी सीधी भर्ती—2021 ::—

बोर्ड द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान के लिये राजस्थान जनसम्पर्क अधीनस्थ सेवा नियम—1975 यथा संशोधित तथा राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2021 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं :—

क्र.सं.	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	78		78

विशेष नोट :—

(i) Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक को प्रवेश पत्र जारी कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में स्वयं आवेदक की त्रुटि तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ii) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

1. **आवेदन प्रक्रिया:—** आवेदक Online Application Form के लिये अपने जिले व राज्य के निर्धारित ई—मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपना SSO ID बना लें एवं SSO ID एवं Password याद रखें। यदि आवेदक ई—मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई—मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करेगा। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमें ई—मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के SSO ID एवं password से Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है उनका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उनका पंजीयन करेंगे। पंजीयन के पश्चात उनका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करेंगे। ई—मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोल कर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन की पुनः जाँच कर लेंगे। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई—मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में संशोधन कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। सही—सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई—मित्र कियोस्क पर जमा करना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा ई—मित्र/जन सुविधा केन्द्र सेवा प्रदाता को नियमानुसार सेवा शुल्क के रूप में देना होगा। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई—मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जायेगा। आवेदन Submit करने के बाद फीस जमा होने पर ही ऑनलाइन आवेदन भरा हुआ माना जायेगा। आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जायेगा। ऐसी स्थिति में ई—मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। उपरोक्त प्रक्रिया से आवेदक स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन भर सकता है।

अभ्यर्थी अपने SSO ID एवं password से Login करेंगे। इसके पश्चात् Dashboard पर Ongoing Recruitment पर संबंधित परीक्षा के Apply now link पर Click कर अपना आवेदन भरेंगे। आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद Next पर Click करने पर Application preview Page खुलेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने द्वारा भरे गये आवेदन की पुनः सावधानी से जाँच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी Update पर Click करके अपने आवेदन में संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। त्रुटियों को सुधारने के बाद अभ्यर्थी पुनः अपने आवेदन का Preview देख कर यह सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। अभ्यर्थी सही—सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करें। अभ्यर्थी अपना आवेदन Submit करने के बाद OK पर Click करेंगे। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। OK पर Click करने के बाद Pay Fees का Page खुलेगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ई—मित्र के माध्यम से जमा करवा सकता है। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जायेगा। ऐसी स्थिति में ई—मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई—मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन-पत्र किसी भी रूप में चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

नोट:-

1. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। एक बार आवेदन करने के बाद उसमें पाई किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।
3. आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।
4. कृपया ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनायें आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी. पर ही भेजी जाती है।

2. <u>परीक्षा शुल्क</u>:- आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को भरेंगे।

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -रूपये 450/-

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु -रूपये 350/-

(ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु -रूपये 250/-

(घ) वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2) [illegible]/09-2/18 दिनांक 02.05.2019 के अनुसार सभी वर्गों के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रूपये 250/-देय है (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 4 भी अवश्य देखें।)

नोट:

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
2. फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जावेगी।
3. जिस जिस श्रेणी की फीस जमाई जाती है, अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जायेगा। उसके बाद में अभ्यर्थी की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
4. सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रूपये 250/-- ही जमा करते है, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

3. <u>प्रवेश</u> पत्र:- बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही ऑनलाईन प्रवेश पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन सुविधा (C.S.C) पर फीस जमा कराने की टोकन नम्बर ध्यान में रखें। तकनीकी संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र संबंधी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाईल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

4. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है-

गैर-अनुसूचित क्षेत्र लम्बवत् आरक्षण (Vertical Reservation)

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				मारवाड़ जिले की सहरिया आदिम जाति		
76	21	07	02	–	22	02	01	–	07	02	-		[illegible]	03	01	–	03				05	02	–	–	–		

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)						
विशेष योग्यजन				विभागीय [illegible] कर्मचारी	भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
B/LV	H	LD/CP	ID/MD			
01	01	01	–	–	09	01

नोटः-

1. लम्बवत् रूप से आरक्षित पदों में क्षैतिज रूप से आरक्षित पद शामिल है।
2. विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के लिये कोई पद आरक्षित नहीं होना बताया है।
3. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे।
4. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा
5. विज्ञापन जारी होने के पश्चात विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

विशेष सूचना:-

1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।
यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसा भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा।
परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर तत्स्थानी रिक्तियां को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
3. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिससे वे महिला आवेदक है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।
स्पष्टीकरणः- किसी वर्ग (सामान्य योग्यताक्रम वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
4. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि योग्य विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि योग्य परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो उनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण/न्यायालय आदेश इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
5. अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (1)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
7. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 25.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
8. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
9. बारां जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकित करने पर ही उन्हें बारां जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/89पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
10. भूतपूर्व सैनिकों हेतु-(क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
(ख) भूतपूर्व सैनिक –
(i) प्रतिरक्षा सेवा (थल, जल, वायु सेना) संगठनों से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिए जैसा कि उसके सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।
(ii) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात किसी अपराध का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अयोग्य बना दे।
भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.5(19) कार्मिक/क-2/84 पार्ट-II दिनांक 17.04.2018 एवं 22.12

2020 के अनुसार आरक्षण भी लागू होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(18)डीओपी/ए–II/84 पार्ट IV दिनांक 01.06.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।

"कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या जिसको एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त होना है/रही है तथा उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को विस्तारित कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति से छः माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।"

"यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक मानदण्ड अंक/या कुल अंक, यथास्थिति भी विहित किये गए हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुज्ञेयता की दरों में और जहां प्रतिशत अथवा तुलनात्मक सेवा, जिसमें से अधिक हो, विहित, जो भी उपयुक्त हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।";

यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक आरक्षण नहीं भरता है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जायेगा और रिक्तियों की संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत नहीं की जायेगी तथा व्यपगत रिक्तियां लैप्स (Lapse) हो जायेगी।

11. **उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु:–** उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी स्थिति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए आरक्षित नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.5(31)डीओपी/ए–II/84 दिनांक 21.11.2019 में वर्णित योग्यता रखते हों। इससे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान :–कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए–II/84 दिनांक 21–11–2019 के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाड़ी" से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने :–

1. इस सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संगम द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लेखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क्र.सं. 1	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 2	टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप का नाम 3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशियन ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स, जो सामान्यतः सैफ गेम्स के नाम से जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/ विश्व चैम्पियनशिप
6	एशियन ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैम्पियनशिप
7	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एफ.)	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप

या

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/ऑल इण्डियन ओलम्पिक कमेटी अथवा इसकी संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैम्पियनशिप/ऑल नेशनल चैम्पियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल गेम्स में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।

नोट:- कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी से ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणी के अनुरूप खेल प्रमाण पत्र हों। यदि किसी आवेदक ने जान बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है तो बोर्ड द्वारा ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। **उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।**

2 दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिये :-

a. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अंतर्गत दिव्यांगजन की निम्न लिखित श्रेणियों हेतु 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है :-

   i. B/LV (Blindness/ Low vision)
   ii. HI (Hearing Impairment)
   iii. LD/CP (Locomotor Disability) including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Musculer dystrophy
   iv. (1) Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental illness.
       (2) Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to (iv) including deaf- blindness in the posts indentified for each disabilities.

b. दिव्यांगजन के लिये प्रदत्त पद आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

c. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो इसे प्रथमतः दिव्यांगजन की चिह्नित विभिन्न श्रेणियों में अन्तःपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन से भिन्न अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

d. दिव्यांगजन आवेदक Online application form में यथास्थान अपनी वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का स्पष्ट उल्लेख करें।

e. ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी दिव्यांगता के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगता का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता दर्शाता हो, उसे ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।

f. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम–2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6(B) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में "यदि किसी पद के लिए, प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक जहां कहीं भी निर्धारित किये गये हों, तो वह प्रतिशत 5% शिथिलता दिव्यांगजन को दिया जायेगा"।

5. वेतनमानः– राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार सहायक जनसम्पर्क अधिकारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल–10 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

अन्य शर्तें :–

(1) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Trainee) को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत की जावे।

(2) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी कार्मिकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जावेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला में न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे व आहरण का पात्र होगा।

5. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:–

1. भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समतुल्य, भारत में किसी विधि द्वारा स्थापित या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के द्वारा स्नातक डिग्री में पत्रकारिता का 3 वर्ष का अनुभव।

या

पत्रकारिता में डिग्री/डिप्लोमा सहित स्नातक; हिन्दी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्रीधारकों को अधिमान दिया जायेगा।

2. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

आवश्यक नोटः– परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती हेतु नियमों की अनुसूचियों में यथा उल्लेखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका/चुकी है या सम्मिलित हो रहा/रही है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी किन्तु उसे,

1. जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के दो प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता है, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व,
2. जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है, साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व,
3. जहाँ चयन केवल लिखित परीक्षा या यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है, लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व

समुचित चयन एजेन्सी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरणः– यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं उस वांछित योग्यता की अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

अन्य योग्यताएँ :–

(1) **स्वास्थ्यः–** सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का अच्छा होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के रूप में उनके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में वह सामान्यतः निवास करता है।

(2) **चरित्र –** सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सच्चरित्रता का प्रमाण पत्र उस विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रस्तुत करना होगा। और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन–पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हों और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हों।

7. <u>राष्ट्रीयता</u> :–

(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो स्थाई रूप से भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकन देश कीनिया, युगाण्डा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्ववर्ती टांगानिका एवं जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जेर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोट–परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ङ) से सम्बन्धित प्रार्थी को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. <u>आयु</u>– सहायक जनसम्पर्क अधिकारी :– आवेदक 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु

"किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जायेगी।"

<u>स्पष्टीकरणः</u> सहायक जनसम्पर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन वर्ष 2012 के पश्चात् में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की और छूट दी जावेगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी–

1. अधिकतम आयु सीमा में

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों जो कि राजस्थान के मूल निवासी हैं के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों जो कि राजस्थान की मूल निवासी हैं के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जावेगी।

2. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

3. उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के योग्य था, उपरिलिखित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुगते गये कारावास की कालावधि के बराबर की कालावधि की छूट दी जायेगी।

4. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति जिनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष अंतिम उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें 2 अवसर दिये जावेंगे।

5. कैडेट प्रशिक्षकों (Cadet Instructors) की दशा में उपर्युक्त अधिकतम आयु में वह अवधि जोड़ दी जायेगी जितनी अवधि तक उन्होंने एन.सी.सी. की सेवा की है यदि उसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो।

6. रिलीज्ड इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर/शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेना से रिलीज होने के बाद विभाग के समक्ष उपस्थित होने के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों पात्र समझा जावेगा।

7. पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

8. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिष्ठायी (substantive) हैसियत से कार्य कर रहे है की उपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। यह छूट अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।
9. 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान बंदीकृत प्रतिरक्षा कार्मिकों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
10. विधवाओं और विवाह–विच्छिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।
स्पष्टीकरण:– विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। तथा विवाह–विच्छिन्न महिला के मामले में विधिक विच्छेद का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में नियमित कर्मचारी, पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में उपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
12. भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु राजस्थान सेवा में आरक्षित पदों के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम 1988 के नियमानुसार उपरोक्त आयु सीमा 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए परन्तु सीमा सुरक्षा/सीमा बल या कोई अन्य उक्त विशेष योग्यता धारकों की दशा में उक्त आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल मानी योग्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु में शिथिलता के प्रावधान कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(8) कार्मिक/क–2/84 पार्ट/II दिनांक 17.4.2018 एवं दिनांक 07.12.2020 के अनुसार भी लागू होंगे।
13. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम 2021 के नियम 8(4) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगजनों को 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जावेगी। विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को आयु सीमा में छूट सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट:–
(i) संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जावेगी यदि वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक तक संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो। आवेदक के उपरोक्त रूप होने पर उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
(ii) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिए राजस्थान के विभिन्न राज्यपत्रित अराजपत्रित अधीनस्थ सेवा नियम 1975 एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अवलोकन करें।
(iii) उपरोक्त बिन्दु 8 की क्रम सं. 1 से 13 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात अभ्यर्थियों को क्रमसंख्या 1 से 13 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

9. **अंशदायी पेंशन**:– नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

10. **विवाह पंजीयन**:– शासन के परिपत्र क्रमांक प.7(19) गृह–13/2006 दिनांक 22–5–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना होगा।

11. **परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि**:–
ऑनलाईन आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, एटीएम–कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करवाकर दिनांक 02.12.2021 से दिनांक 31.12.2021 को 23:59 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरे जा सकते हैं (इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे)। ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया उपरोक्त बिन्दु संख्या 4 में वर्णित है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

12. **परीक्षा का माह एवं दिनांक**:– सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 13.02.2022 को आयोजित किया जाना संभावित है। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

13. **अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में**:– सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुए आवेदन करना चाहिए।

14. **नियुक्ति की अयोग्यतायें**:–
(1) कोई भी ऐसा पुरुष आवेदक जो जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
(2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
(3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।
(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती।
परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और नि:शक्त हो, गणना नहीं की जायेगी।

(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रतिरूपण (अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित करना) करने या कूट–रचित किए हुए दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयास करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमे का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए अविवर्जित (Debarred) कर दिया जायेगा।

15. आवेदन कैसे करें:–

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट:- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान दें:–

1. आवेदकों को निर्देश दिये जाते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र सम्बन्धी निर्देशों के साथ–साथ सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जायेंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं उसके सम्बन्ध में चाही गई समस्त सूचनाएं/प्रविष्टियां फॉर्म में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों का Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form जमा करने की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि अपने वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जाएगा।
4. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
5. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अस्थायी (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टियां बोर्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। परीक्षा उपरान्त चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन पत्र मय सभी सम्बन्धित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल दस्तावेजों के मिलान की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
6. अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार संदेश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।
7. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश

फोटो अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश :-

a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं खींचे फोटो का उपयोग नहीं करें।
c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह लेना चाहिए।
e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर टोपी या चश्मे, बाल द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोडी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
f. यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्मे पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए
i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के विमाएं न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (px पिक्सल्स) होना चाहिए।
j. फाईल का आकार 20 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।

e. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

f. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

6. हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स को तैयार करें व गहरे नीले पेन से हस्ताक्षर करें।

b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।

c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करके एवं आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात अपलोड करें।

d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

e. केवल जेपीईजी(JPEG)फार्मेट को स्वीकार किया जाएगा।

f. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।

g. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।

h. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

i. केपीटल लेटर में किया गया हस्ताक्षर व फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा

विशेष टिप्पणी:-

1. परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किया जावेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जावेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/- रु. जमा कराना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जावेगी।
2. परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छतों एवं पायदानों पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन और रास्तों में तोड़फोड़, लूटपाट, हुड़दंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाये रखें।
3. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्याही का पारदर्शी बालपेन, 2.5×2.5 से.मी. का एक फोटो, एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते हैं। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संवीक्षक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।
4. जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मिलित है।
5. सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
6. परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित् करनी होगी।

16. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया:-

बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रुपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, माता के नाम एवं स्वयं के नाम के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।
2. यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह जाती है एवं वह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात ऑनलाईन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाईन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से दी जावेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क 300/- रुपये ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी केवल श्रेणी, वैवाहिक वर्ग, विशेष योग्यजन श्रेणी/उप श्रेणी, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्ता, एवं लिंग इत्यादि में संशोधन कर सकेंगे।
3. अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में अपने स्वयं के नाम, माता-पिता के नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं अपने हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा। आवेदक का अपने नाम, माता-पिता के नाम, फोटो, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं हस्ताक्षर से सम्बन्धित त्रुटियों में संशोधन के लिये विचार होने की स्थिति में, पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर विचार किया जावेगा।
4. इसके पश्चात ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा। तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

17. श्रुत लेखक की सुविधा:-

सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर पत्र अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे दिव्यांगजन (नेत्रहीन (Blind) सुनेत्रहीन एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिहीनता), या ऐसे अस्थि विकलांग जिनके दोनों हाथ कटे हो या काम नहीं करते हो, के कारण लिखने में असमर्थ हैं, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध करवाये जायेंगे, परन्तु अस्थायी दुर्घटनावश लेखन कार्य से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध करवाने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को स्वयं उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की एक प्रमाणित प्रति केन्द्राधीक्षक को भी दी जावेगी।

18. **प्रमाण-पत्रों का सत्यापन**:—आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाए गए हों, अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :—

1. जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिया हुआ हो।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में नॉन क्रीमीलेयर एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही ढंग से पूर्ण भरी गई हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक है।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।
5. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र Online Application Form भरने की अंतिम दिनांक से पूर्व का जारी होना चाहिए, अन्यथा अंतिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उक्त वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
8. शैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, नॉन-क्रीमीलेयर, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजन, परित्यक्ता एवं अन्य आवश्यक समस्त मूल दस्तावेज।

19. **आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम**:—अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में समस्त सूचनाएं सही सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/अपनाने करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे उचित कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinace and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

20. **परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम** :— सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा की स्कीम एवं विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर अलग से उपलब्ध करवाया जायेगा।

21. **बोर्ड की वेबसाईट** :—आवेदक बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के भर्ती निर्देश/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। पत्राचार का पता सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष